संख्या-08/2024/ब-62/002-ई1841564

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के चालू कार्यो पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-10957/CE24-25, दिनांक 26.10.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 02 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रू0 3500.00 लाख (रू0 पैंतीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत/ प्रावैधिक/बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3		4	5	6
1	प्रा0ख0, अयोध्या	जनपद अयोध्या में एन0एच0-27 से नयाघाट पुराने पुल तक मार्ग(धर्मपथ) (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.00 से 2.00 तक के मध्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य।	94/2023/289383/ 2023/23-11099(099)/3/2023 दिनांक 17.03.2023	11691.950 11691.950 496.000 11195.95	6213.04	2500.00
2	प्रा0ख0,	जनपद अयोध्या में	261/2023/384321/2	2025.530	506.38	1000.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	अयोध्या	अयोध्या रेलवे स्टेशन से रामपथ तक स्मार्ट रोड(क्षीर सागर पथ) (अ0जि0मा0) का निर्माण कार्य (लम्बाई 0.400 कि0मी0)	023/23-11099(099)/102/2023 दिनांक 09.09.2023	2025.530 11.700 2013.83		
		कुल योग				3500.00

(रूपये पैंतीस करोड़ मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों मे उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यो के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 35,00,00,00,0 (रूपये पैंतीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371353 धर्मार्थ-मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
धर्मेन्द्र कुमार पाठक
उप सचिव।

संख्या-08/2024/ब-62/002-ई1841564, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10-सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11-वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12-राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13-अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14-लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ0प्र0 शासन।
15-नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र कुमार पाठक
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in